उत्तर प्रदेश शासन,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1
संख्या- 456/84-1-2013-23बा0मा0/2010
लखनऊ दिनॉक 11 सितम्बर, 2013

-अधिसूचना-

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 1, सन् 2010) की धारा 53 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली (प्रथम संशोधन) बनाते हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा-53 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या- 79/84-1-2013-23 बा0मा0-2010, दिनॉक 05 मार्च, 2013 के अधीन गजट में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1-(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (प्रथमसंशोधन) नियमावली, 2013 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशन के दिनॉक से प्रवृत्त होगी।

नियम-11 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 में, नियम-11 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम-(4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान उप नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
11(4) किसी विनिर्माता, मरम्मत करने वाले या व्यवहारी को जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस न्यूनतम एक कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा और नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुसूची चार में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक फीस के भुगतान पर एक कलेण्डर वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।	11(4) किसी विनिर्माता, मरम्मत करने वाले या व्यवहारी को जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस **न्यूनतम एक से दस कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा**, और नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुसूची चार में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक फीस के भुगतान पर **एक से दस कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत** किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shashan

Upbhokta Sanrashan Evam Baat-Maap Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English transtation of the notification no. 456/84-1-2013-2010 dated 11, September, 2013

NOTIFICATION

No-456/84-1-2013-23Ba Ma/2010
Lucknow Dated 11, September, 2013

In exercise of the powers under sub section (1) of section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Act no. 1 of 2010) the Governor after consultation with the Central Government is pleased to make the following rules, (First Amendment) the same having been previously published in the Gazette under Government notification no. 79/84-1-2013-23 Ba Ma/2010, dated 05 March, 2013 as required by sub section (4) of section 53 of the said Act.

THE UTTAR PRADESH LEGAL METROLOGY (ENFORCEMENT) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2013

Short title extent and commence-ment

1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Legal Metrology (Enforcement) (First Amendment) Rules, 2013

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their Publication in the Gazette.

Amendment of rule-11

2- In the Uttar Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 in rule-11 for the existing sub rule (4) set out in column 1 below, the sub rule as set out in column-II shall be substituted, namely

Column I Existing sub rule	Column II The sub rule as hereby substituted
11(4) Every licence issued to a manufacturer, repairer, or dealer shall be valid for a minimum period of one calendar year and may be renewed for a period of one calendar year, by the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf on payment of necessary fee as specified in the Schedule IV	11(4) Every licence issued to a manufacturer, repairer, or dealer shall be valid for a **minimum period of one to ten calendar years** and may be **renewed for a period of one to ten calendar years,** by the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf on payment of necessary fee as specified in the Schedule IV.

By order,

(Deepak Trivedi)
Principal Secretary

संख्या-456(1)/84-1-2013-23बामा/2010 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8- विभागीय आदेश पुस्तिका।
9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि नियमावली को हिन्दी एवं अंग्रेजी (प्रति संलग्न) में, उत्तर प्रदेश सरकारी गजट की विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में, दिनॉक 11 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित करते हुए, नियमावली की बारह-बारह सौ प्रतियॉ तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।